

भारतसरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना सं०. 31/2017-केन्द्रीय कर (दर)**

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीयमाल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा सा.का.नि. संख्या 690(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना सं०. 11/2017- केन्द्रीयकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में और आगे संशोधन निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) तालिका में, -

**(क)क्रम संख्या 3 के समक्ष,-**

- (क) मद(iii) में, कॉलम (3) में,"सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर"केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (ख) मद (vi) में, कॉलम (3) में "किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर"किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ग) मद (iii) और(vi) में, कॉलम (5) में, मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "बशर्ते कि जहां सेवाओं कीकिसी सरकारी निकाय में आपूर्ति की जाती है, उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी निकाय द्वारा खरीदा जाना चाहिए था";
- (घ) मद (vii) के लिए कॉलम (3),(4) और (5)और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
"(vii)केन्द्रीय मालऔर सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में परिभाषित कार्य संवीदा की समग्र आपूर्तिकेंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र,	2.5	बशर्ते कि जहां किसी सरकारी इकाई को सेवाएं दी जाती हैं,उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य

स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई को प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य रूप से धरती कार्य (जो कि कार्य संविदा के मूल्य का 75% से अधिक गठन का होता है) शामिल है।		क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा कि मामला हो, द्वारा सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी इकाई द्वारा प्राप्ति की जानी चाहिए ।
(viii) यथोचित बेस लाइन के किसी निकटस्थ बिंदु से 12 समुद्री मील से दूर के क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) से संबंधित अपतटीय काम संविदा के संबंध में केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में और संबद्ध सेवाओं में परिभाषित कार्यसंविदा की समग्र आपूर्ति।	6	-
(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) के अलावा अन्य निर्माण सेवाएं ।	9	-";

(ख) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (ii) के लिए कॉलम (5) में "या" शब्द के लिए "और" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (vi) के लिए कॉलम (3) में और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) यात्री को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां ईंधन की लागत को सेवा प्राप्तकर्ता से लिया जाता है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) की समान लीक में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]
		या
	6	-";

(घ) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(v) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिवहन	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है

		[कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]
		या
	6	-
(vi) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के अलावा माल परिवहन सेवाएं	9	-”;

(इ) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियाँ हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(i) यात्रियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन को किराए पर लेना जहां ईंधन की कीमत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए जाने हेतु विचारण में शामिल किया गया है।	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग किए गए माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यापार की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण सं0.(iv) देखें]
		या
	6	-”;

(च) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (v) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियाँ हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(v) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे मालकी आपूर्ति पर लागू केंद्रीय कर की दर का 65 प्रतिशत। नोट:- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।	-
(vi) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), और (v) के अलावा वित्तीय और संबंधित सेवाएं	9	-”;

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियाँ हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे	-

पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	मालकी आपूर्ति पर लागू केंद्रीय कर की दर का 65 प्रति शत । नोट:- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।	
(vii) उपरोक्त(i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi)के अतिरिक्त, ऑपरेटर के साथ या उसकेबिना पट्टे पर याकिराये की सेवाएं,	मालमें अधिकार(टाइटल) के स्थानान्तरण से जुड़े जैसे माल की आपूर्ति पर लागू होने वाले केंद्रीय कर की समान दर	-";

(ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

- (i) मद (i) में, उप-मद (ग) हेतु, निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
“(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 71 के तहत आने वाले सभी उत्पाद;”;
- (ii) मद (i) में, उप-मद (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा:-“(घक) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों की छपाई, जिस पर 2.5 प्रति शत या शून्य की दर से सीजीएसटी लगती है;”;
- (iii) मद(i) में, उप-मद (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मदों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -  
“(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 1 से 22 के तहत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;  
(छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 23 के तहत आने वाले उत्पाद, सिवाए उक्त अध्याय की टैरिफ मद 23091000 के तहत आने वाली खुदरा ब्रिक्की हेतु रखे जाने वाला कुत्ते और बिल्ली का भोजन के;  
(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद 69010010 के तहत आने वाली मिट्टी ईंटों का निर्माण;”;
- (iv) कॉलम (3) में मद (i)के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससेसंबंधित प्रविष्टियाँ हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(क) निम्नलिखितके संबंध में नौकरी के काम के माध्यम से सेवाएं- (क) छाते का निर्माण; (ख) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 6 प्रति शत की दर से सीजीएसटी लगती है ।	6	-";

- (v) मद(ii) में उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-  
“(ग) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आनेवाले सभी मालका मुद्रण, जिसपर 2.5 या शून्य प्रति शत की दरसे सीजीएसटी लगती है।”;
- (vi) कॉलम (3) में मद (ii) के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससेसंबंधित प्रविष्टियाँ हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(iik) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 6 प्रति शत की दर से सीजीएसटी लगती है,के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं पर किसी भी संव्यवहार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं।	6	-”;

(vii) मद (iii) में,कोष्ठकों आंकड़ों और शब्दों "और (ii)" के लिए कोष्ठक, आंकड़े और शब्द ", (ik), (ii) और (iik)" कोप्रतिस्थापित किया जाएगा;

(झ)क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससेसंबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
(i)अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों के मुद्रण के माध्यम से सेवाएं[समाचार पत्रों, किताबें (ब्रेल पुस्तकें सहित), पत्रिकाओं(जर्नल्स) और पत्रिकाओं(पीरियोडिकल्स) सहित], जिन पर 6 प्रति शत या 2.5 प्रति शत या शून्य की दर से सीजीएसटी लगता है,जहां केवल प्रकाशक द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जाती है और मुद्रण हेतु प्रयोग किए गए कागज सहित भौतिक इनपुट प्रिंटर से संबंधित हैं।	6	-”;

(ii) पैराग्राफ 2 में,"मद (i) पर" शब्दों और अंकों हेतु,"मद (i) पर, मद (iv)[उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (v) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (vi) [उप-मद (ग)]"को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) पैराग्राफ 4 में, खण्ड (viii) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ix) “सरकारी प्राधिकरण” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-

(i)संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो,और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है ।

(x) “सरकारी निकाय” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-

(i)संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।”।

[फा. सं0.354/173/2017 -टीआरयू]

**(रुचि बिष्ट)**

**अवर सचिव, भारत सरकार**

नोट: - प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत अधिसूचना सं0. 11/2017 - केन्द्रीय कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 1179(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के तहत अधिसूचना संख्या 24/2017-केन्द्रीय कर (दर) द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था ।